पत्रांक–8/आ0 (राज0 उ0) –02–25/2015........................

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

अभय राज,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक......................

विषयः– स्व0 रामसुन्दर प्रसाद,, तत्का0 उत्पाद अधीक्षक, लखीसराय के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्व0 रामसुन्दर प्रसाद, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, लखीसराय को विभागीय अधिसूचना सं0–4997 दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। स्व0 प्रसाद के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, चौर्य बिकी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने, आदेश का उल्लंघन एवं वरीय पदाधिकारी को गुमराह करना आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–3034 दिनांक 27.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना सं0–536 दिनांक 09.02.2017 द्वारा स्व0 प्रसाद का 02 (दो) वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया था। स्व0 प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये थे और तदनुसार उन्हें दण्ड अधिरोपित किया गया था अर्थात् स्व0 प्रसाद का निलम्बन औचित्यपूर्ण था।

अतः स्व0 प्रसाद के निलम्बन अवधि दिनांक 02.12.2015 से 09.02.2017 तक को इस रूप में विनियमित किया जाता है कि उस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि भुगतेय नहीं होगा।

इसमें अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अभय राज)
सरकार के अपर सचिव
बिहार, पटना

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0उ0)–02–35/2015 3529 /   पटना, दिनांक 24.09.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह– निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/अधीक्षक मद्य निषेध का कार्यालय, अरवल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05/आई0 टी0 मैनेजर एवं श्रीमती उर्मिला देवी, पत्नी स्व0 रामसुन्दर प्रसाद, ग्राम–लालसे विगहा, पो0+थाना–हिलसा, जिला–नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/19
सरकार के अपर सचिव
बिहार, पटना

R.K

Letter np